मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

''मंत्रालय''

क्रमांक एफ-7 (4)/2003/1-10 भोपाल, दिनांक 28-10-2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय.—विभागीय जांच आयुक्त को शासन के विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय जांच के प्रकरण को सौंपा जाना.

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-4(2)×1983/1/6, दिनांक 25 जनवरी, 1984 द्वारा विभागीय जांच के प्रकरण विभागीय जांच आयुक्त को सौंपने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं.

शासन के ध्यान में यह आया है कि उक्त निर्देशों का पालन विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है. अतएव, परिपत्र दिनांक 25 जनवरी, 1984 की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि परिपत्र में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित हो.

संलग्न : उपरोक्तानुसार.

हस्ता./-
(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 4 (2)/1983/1 (6) भोपाल, दिनांक 25 जनवरी, 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय.—विभागीय जांच आयुक्त को शासन के विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय जांच के प्रकरण को सौंपा जाना.

विभागीय जांच आयुक्त के पद के निर्माण से लेकर अब तक इस विभाग द्वारा उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर प्रसारित अनुदेशों को समेकित (Consolidate) करने की दृष्टि से इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त परिपत्रों को निरस्त करते हुए निम्नानुसार समेकित अनुदेश प्रसारित किए जाते हैं :—

1. **किस श्रेणी के प्रकरण विभागीय जांच आयुक्त को सौंपे जाएंगे :—**

1.01 विभागीय जांच आयुक्त को निम्नलिखित श्रेणियों के प्रकरणों में जांच अधिकारी नियुक्त किया जावेगा :—

(क) प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध आदेशित सभी विभागीय जांच के प्रकरणों में, केवल निम्नलिखित प्रकरणों को छोड़कर,

1. जहां अपचारी अधिकारी, विभागीय जांच आयुक्त से वरिष्ठ हो,

अथवा

2. जहां प्रकरण के परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासकीय विभाग विभागीय जांच आयुक्त के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त करना अधिक उपयुक्त समझे.

(ख) द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध आदेशित विभागीय जांच के ऐसे प्रकरण जिनमें अपचारी अधिकारी ने प्राप्त बचाव उत्तर पर विचार करने के बाद प्रशासकीय विभाग का मत हो कि,

1. प्रकरण इतने गंभीर स्वरूप का है कि उसमें दीर्घ शास्ति आरोपित होने की संभावना है, तथा

2. प्रकरण के परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासकीय विभाग का यह भी मत हो कि उसमें किसी विभागीय अधिकारी के स्थान पर विभागीय जांच आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त करना अधिक उपयुक्त होगा.

1.02 विभागीय जांच आयुक्त को ऐसे प्रकरणों में भी जांच अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा जिनमें विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध संयुक्त विभागीय जांच के आदेश दिए गए हों तथा ऐसे अधिकारियों में से कम से कम एक अधिकारी ऊपर पद 1.01 के खण्ड (क) में उल्लिखित श्रेणी में आता हो.

1.03 विभागीय जांच आयुक्त को केवल ऐसे ही प्रकरणों में जांच अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा जिनमें—

1. विभागीय जांच शासन स्तर पर संस्थित हुई हो (अर्थात किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा संस्थित विभागीय जांच में विभागीय जांच आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा); तथा

2. पहले से कोई अन्य अधिकारी जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त न किया जा चुका हो.

2. **विभागीय जांच आयुक्त को प्रकरण सौंपने की प्रक्रिया :—**

2.01 किसी भी विभागीय जांच प्रकरण में जांच अधिकारी की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति होने पर की जाती है :—

1. आरोप पत्र, आरोपों के अभिकथन पत्र तथा गवाहों एवं अभिलेखों की सूचियां, जिनके द्वारा आरोप प्रमाणित करना प्रस्तावित है, का अपचारी अधिकारी पर विधिवत निर्वाह हो चुका हो, तथा

2. यथास्थिति, उक्त आरोप पत्रादि के जवाब में अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत लिखित बचाव उत्तर पर विचार करने के बाद,

अथवा

अपचारी अधिकारी के नियत समयावधि में आरोप पत्रादि का लिखित बचाव उत्तर प्राप्त न होने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी का निष्कर्ष हो कि प्रकरण में विस्तृत जांच करने के लिए जांच अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है.

किसी भी प्रकरण में विभागीय जांच आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त करते समय प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उपयुक्त दोनों शर्तों की पूर्ति हो चुकी है.

2.02 जिन प्रकरणों में ऊपर पद 1 और 2.01 में दर्शायी शर्तों की पूर्ति होती हो, उनमें प्रशासकीय विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966, के नियम 14 (2) सहपठित नियम 14 (5) के अंतर्गत एवं औपचारिक आदेश जारी कर विभागीय जांच आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा.

2.03 ऊपर पद 2 के अनुसार विभागीय जांच आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही साथ प्रशासकीय विभाग प्रत्येक प्रकरण में अनिवार्यत: किसी उपयुक्त अधिकारी को यथासंभव, नाम से मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (5) (सी) के अंतर्गत प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करेगा. विभागीय जांच आयुक्त को सौंपे जाने वाले प्रत्येक प्रकरण में उनकी नियुक्ति के साथ ही प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी नियुक्त करना इसलिये आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक विभाग के प्रकरणों के अपने अलग विशिष्ट तकनीकी पहलु होते हैं जिन्हें सम्यक् रूप से विभागीय जांच आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करना होता है. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी केवल ऐसे ही व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा जो निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हों :—

(क) वह अपचारी अधिकारी से निम्न श्रेणी का न हो,
(ख) वह अपचारी अधिकारी का रिश्तेदार अथवा अन्यथा उसके प्रकरण में अनुचित रुचि रखने वाला न हो,
(ग) वह निष्ठा के संदर्भ में अच्छी ख्याति का अधिकारी हो,
(घ) उसका विभागीय ज्ञान और दक्षता का स्तर अच्छा हो, तथा
(च) उसकी सेवानिवृत्ति में कम से कम दो वर्ष का समय शेष हो.

2.04 ऊपर पद 2.02 एवं 2.03 में दर्शाए अनुसार आदेश जारी करने के बाद प्रशासकीय विभाग उनकी एक-एक प्रति के साथ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 (6) में उल्लिखित समस्त अभिलेख विभागीय जांच आयुक्त को अग्रेषित करेगा.

2.05 जब कभी किसी विभागीय जांच के संचालन के सिलसिले में ऐसे मूल अभिलेखों को लम्बे समय के लिये विभागीय जांच आयुक्त के पास छोड़ा जाना आवश्यक हो, जिनके विभाग को भी समय-समय पर आवश्यकता होने की संभावना हो, तो ऐसा अभिलेख विभागीय जांच आयुक्त को भेजने के पूर्व प्रशासकीय विभाग उनकी एक प्रमाणित प्रति तैयार कराकर रख लेंगे, जिससे वे मूल अभिलेख के बिना भी काम चला सकें.

3. विभागीय जांच आयुक्त को प्रकरण सौंपने के बाद उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने तक प्रशासकीय विभाग से अपेक्षित कार्यवाही :—

3.01 ऊपर पद 2.04 के अनुसार कार्यवाही हो जाने के बाद प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि —

(1) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी विभागीय जांच आयुक्त के समक्ष अनिवार्यत: प्रत्येक पेशी पर उपस्थित हो, शासन पक्ष के गवाह भी नियत तिथियों पर ही साक्ष्य हेतु उपस्थित हों तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या शासकीय गवाहों के कारण पेशी न बढ़ानी पड़े,

(2) विभागीय जांच के दौरान अपचारी अधिकारी के अनुरोध पर अथवा अन्यथा विभागीय जांच आयुक्त द्वारा आहूत समस्त दस्तावेज बिना किसी विलम्ब के उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, तथा

(3) विभागीय जांच आयुक्त के अन्य अपेक्षाओं/वांछाओं की भी यथाशीघ्र तुरन्त पूर्ति की जाएं.

4. विभागीय जांच आयुक्त से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपेक्षित कार्यवाही :—

4.01 विभागीय जांच आयुक्त से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत आगे की कार्यवाही की जावेगी.

4.02 मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 15 (1) के अनुसार आनुशासनिक प्राधिकारी, अपने द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से प्रकरण को पुन: जांच अधिकारी (विभागीय जांच आयुक्त) को विनिर्दिष्ट किए जाने वाले विशिष्ट बिन्दुओं पर और जांच तथा रिपोर्ट के लिए भेजा जाएगा.

5. **अन्य विविध बिन्दु :—**

5.01 यदि इस परिपत्र के पद 1.01–1.03 तथा 2.01–2.04 में निहित किसी भी अनुदेश का पालन किए बिना कोई प्रकरण किसी प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय जांच आयुक्त को सौंपा जाता है तो विभागीय जांच आयुक्त ऐसे प्रकरणों को संबंधित विभागों को वापस कर सकेंगे तथा इसके फलस्वरुप होने वाले विलम्ब के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा.

5.02 शासन के विभिन्न विभाग समय-समय पर यह अनुभव करते रहे हैं कि उनके पास लम्बित विभागीय जांचों को विधिवत एवं त्वरित गति से संपादित करने के लिए समुचित मशीनरी उपलब्ध नहीं है. इस समस्या का हल करने के लिए यह वांछनीय है कि शासन के विभाग ऊपर पद 1.01–1.03 में उल्लेखित श्रेणियों के सभी प्रकरणों में विभागीय जांच आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त करें.

विभागीय जांच आयुक्त के संगठन को अधिक सुदृढ़ बनाने की कार्यवाही इस विभाग द्वारा अलग से की जा रही है.

हस्ता./-
(वी. जी. निगम)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.